

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-II/1439

दिनांक :- 24.11.2022

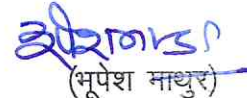
आदेश: 650/2022-23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2022-23) की सिफारिशों के आधार पर श्री यदुवीर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या 67/2013) जन्म तिथि 07.05.1987 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरुद्ध सीसीए-17 में आरोप पत्र जारी किए जाने के कारण पदोन्नति नतीजे को बंद लिफाफा किए जाने की अनुशंसा की गई थी। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री यदुवीर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध विचाराधीन ज्ञापन दिनांक 22.07.2021 द्वारा सीसीए-17 में आरोप पत्र जारी किए जाने के कारण पदोन्नति नतीजा बंद किए जाने एवं विचाराधीन प्रकरण में कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर के आदेश क्रमांक 5061-67 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा ड्रॉप किए जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद का पे मैट्रिक्स के लेवल-11 (ग्रेड पे 4200) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री यदुवीर सिंह को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर चयन वर्ष 2022-23 (रिक्ति दिनांक 01.04.2022) से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री यदुवीर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार के पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर क्रमोन्नत करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर में किया जाता है। श्री यदुवीर सिंह को पदोन्नति पर वास्तविक परिलब्ध कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

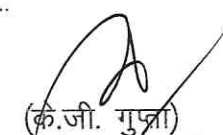

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022-23/अलेसे-II/1439

दिनांक :- 24.11.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. डीपीसी शाखा/ए.पी.ए.आर शाखा/वरिष्ठता/गार्ड फाइल निजी पत्रावली।
6. श्री यदुवीर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय.....
7. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।


(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक/(कार्मिक-II/III)